न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 67 / 2024

अनवान : –

1. चेतराम पुत्र गणपतराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. नन्दराम पुत्र गणपतराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. गुगन राम पुत्र गणपतराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. जितेन्द्र पाल पुत्र गुगनराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. देवीलाल पुत्र गुगनराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 21/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की खातेदारी भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 488, 629, 630 की कुल 82 बीघा 12 बिस्वा थी। उक्त भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की सहमति से दिनांक 08.03.1996 को खाता तकसीम करवाया जाकर प्रत्येक खसरा के मिन नम्बर बनाये जाकर प्रत्येक खातेदार को अलग अलग नक्शा तैयार किया गया।

उक्त भूमि का दिनांक 08.03.1996 को सहमति से खाता विभाजन किया जाने के पश्चात प्रार्थी को ख0न0 330 की 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि अर्थात 4.426 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में ख0न0 630/1 की पूर्व में ख0न0 630/3 है तथा अप्रार्थी स0 2 के ख0न0 630/3 की 17 बिघा 11 बिस्वा अर्थात 4.4390 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में गुगन राम पश्चिम में चेतराम प्रार्थी है तथा अप्रार्थी गुगनराम वगैरह अप्रार्थी स0 3 ता 5 की ख0न 630/1 की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि अर्थात 5.2480 हैक्ट भूमि उत्तरी पासा की जिसके दक्षिण में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 के खेत लगती भूमि प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार नक्शा तैयार किया व इसी अनुसार विभाजन करवाकर नक्शा तैयार किया गया। वरवक्त राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन दर्ज किया गया तो ख0न0 630 में लाईनिंग गलत दर्ज कर दी व बटवारा अनुसार व पूर्व नक्शा अनुसार तैयार नही किया जो दुरूस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:02:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई दफा कहा की मुताबिक निर्णय दिनांक 08.03.1996 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे तो अप्रार्थीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की तरफ से अधिवक्ता रामकुमार बैनीवाल उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 खाता स0 160/144, 126/116, 270/246, खसरा नक्शा, चित्रप्रति आदेश बाबत खाता विभाजन पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि का दिनांक 08.03.1996 को सहमति से खाता विभाजन किया जाने के पश्चात प्रार्थी को ख0न0 330 की 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि अर्थात 4.426 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में ख0न0 630/1 की पूर्व में ख0न0 630/3 है तथा अप्रार्थी स0 2 के ख0न0 630/3 की 17 बिघा 11 बिस्वा अर्थात 4.4390 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में गुगन राम पश्चिम में चेतराम प्रार्थी है तथा अप्रार्थी गुगनराम वगैरह अप्रार्थी स0 3 ता 5 की ख0न 630/1 की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि अर्थात 5.2480 हैक्ट भूमि उत्तरी पासा की जिसके दक्षिण में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 के खेत लगती भूमि प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार नक्शा तैयार किया व इसी अनुसार विभाजन करवाकर नक्शा तैयार किया गया। वरवक्त राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन दर्ज किया गया तो ख0न0 630 में लाईनिंग गलत दर्ज कर दी व बंटवारानुसार व पूर्व नक्शा अनुसार तैयार नही किया जो दुरूस्त योग्य है। निर्णय दिनांक 08.03.1996 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की खातेदारी भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 488, 629, 630 की कुल 82 बीघा 12 बिस्वा थी। उक्त भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की सहमति से दिनांक 08.03.1996 को खाता तकसीम करवाया जाकर प्रत्येक खसरा के मिन नम्बर बनाये जाकर प्रत्येक खातेदार को अलग अलग नक्शा तैयार किया गया। मुताबिक नक्शा/ सहमति खाता विभाजन दिनांक 08.03.1996 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 द्वारा निवेदन किया गया है कि [illegible] प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। [illegible] प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर [illegible] विवरण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:02:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा सोनड़ी के वर्तमान ख0न0 630/1, 630/2, 630/3 को संशोधन तहसीलदार नोहर के मि0न0 41/96 के निर्णय दिनांक 08.03.1996 के अनुसार सहमति से बनाये नक्शानुसार दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:02:53 IST
Reason: SelfAttested